समक्ष माननीय राजस्व मंण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

रा0पु0कं0— I/निगरानी/छिंदवाडा/भू.रा/2018/1522 प्रस्तुत दिनांक—24/02/2018

भागचंद मसराम पिता सोनवा जाति परधान,

निवासी ग्राम जोगीवाडा, तहसील कुरई

जिला सिवनी (म0प्र0) ——————पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय छिंदवाडा (म0प्र0) ——————उत्तरदाता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959

विद्वान जिलाध्यक्ष छिंदवाडा द्वारा रा0 प्र0 कं0 63/अ—21/2017—18 वास्ते अर्जीदार द्वारा रा0 प्र0 कं0 63/अ—21/2017—18 वास्ते पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि गैर आदिवासी को मौजा ग्राम लकडाईजम्होडी, बं0 नं0 515, प0 ह0 नं0 33, तहसील व जिला छिंदवाडा में स्थित भूमि ख0 नं0 90/1 एवं 107/2 रकबा कमशः 1.821 हे0, 1.124 हे0 कुल रकबा 2.945 हे0 भूमि गैर आदिवासी को विकय करने की अनुमति प्रदान न किये जाने के आदेश दिनांक 22.02.2018 से दुखी होकर याचिकाकर्ता पर्याप्त तथ्य एवं आधारों सहित निम्न पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के तथ्य

1— यह कि, याचिकाकर्ता भागचंद मसराम पिता सोनवा जाति परधान निवासी ग्राम जोगीवाडा, तहसील कुरई जिला सिवनी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर मौजा ग्राम लकडाईजम्होडी, बं0 नं0 515, प0 ह0 नं0

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक — एक/निग./छिंदवाड़ा/भू.रा./2018/1522

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20—3—18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील जादौन द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13—3—18 में आदेश के पैरा 2 की छठवीं लाइन एवं पैरा 4 की 31वीं लाइन में रकबा 1.821 हैक्टर के स्थान पर रकबा 1.825 अंकित हो गया है, जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि प्रकरण के अवलोकन से होती है । अतः न्यायहित में यह आदेश दिये जाते हैं कि इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13—3—18 के पैरा 2 की छठवीं लाइन एवं पैरा 4 की 31वीं लाइन में रकबा 1.825 हैक्टर के स्थान पर रकबा 1.821 पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा । प्रशा0 सदस्य	